

FORM NO. 3

फर्द अहकाम

नया
अहकाम
हुक्म की
जाशी हुए।

अदालत.....उपखण्ड अधिकारी, मुकाम.....सामगढ शेखावाटी
 ओमप्रकाशबनाम.....सीताराम आदि.....
 अ. धारामु. न.05/17.....सन्.....2017.....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो द्वारा हुक्म की तागिल में जाशी हुए
20.02.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं अनुपस्थित। वकील वादी द्वारा दिनांक 02.02.2017 को न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया था। वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 07 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने बाबत दिनांक 05.09.2017 को आदेशित किया गया था। वादी को कई मौके दिये गये तथा अन्त में वकील वादी को 500 रूपये की कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 07 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश किये, लेकिन वो भी अधुरे पते के कारण वापस लौट आये है। वादी द्वारा आदिनांक न्यायालय के आदेशो की पालना नहीं की गई है। अतः वाद वादी अ. आ. 09 नियम 05 सीपीसी अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी सामगढ शेखावाटी</p>	

Scanned with CamScanner

